द बगि पक्चिर: लैंगकि समानता बनाम धार्मकि रविाज़

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

केरल में सबरीमाला मंदरि की सदयिों पुरानी प्रथा (जसिके अनुसार 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महलिाओं के मंदरि में प्रवेश पर प्रतबिंध था) के खलिाफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशि्रा की अध्यक्षता में संवैधानकि खंडपीठ ने पाया है कि प्रार्थना का अधकिार एक संवैधानकि अधकिार है और यह कानूनों पर नरि्भर नहीं है।

- न्यायालय के अनुसार, सार्वजनकि स्थान पर एक नजिी मंदरि जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। इसलयि लगि एवं शरीर वज्ञिान (physiology) के आधार पर कसिी के साथ कोई भेदभाव नहीं कयिा जा सकता है।
- यह नरि्णय देश में नारीवादी आंदोलन के लयि मील का पत्थर साबति होगा।

मंदरि में महलिाओं के प्रवेश के पक्ष में तर्क

1. अनुच्छेद-14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी प्राचीन परंपरा संवैधानकि जनादेश के खलिाफ है।
2. इसी प्रकार अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जात, लगि, जन्म स्थान, या इनमें से कसिी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। मंदरि में महलिाओं के प्रवेश पर प्रतबिंध अनुच्छेद-15 का हनन करता है। साथ ही, यह अनुच्छेद-25 (1) में प्रदत्त धार्मकि स्वतंत्रता के अधकिार को भी सीमति करता है।
3. मंदरि में महलिाओं के प्रवेश का नषिध पूरी तरह से महलिाओं की जैवकि संरचना और नारीत्व के आधार पर लयिा गया नरि्णय है। यह एक ऐसा नरि्णय है जो समाज में महलिा को उसके नारीत्व के कारण अपमानजनक स्थतिि प्रदान करता है, यह अनुच्छेद-51 A (e) के लक्ष्य का भी त्याग करता है।
4. संवधिान के अनुच्छेद-26 (b) के तहत धार्मकि अधकिारयिों के प्रबंधकीय अधकिार, मंदरि में महलिाओं के प्रवेश पर रोक लगाकर अनुच्छेद-25 (1) के तहत प्रदत्त व्यक्तगित धार्मकि स्वतंत्रता के अधकिार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलयि धार्मकि अधकिारयिों की स्वायत्तता का तर्क समाप्त हो जाता है।
5. अनुच्छेद-25 (2)(b) राज्य को सामाजकि कल्याण और सुधार के लयि या हदिुओं की सार्वजनकि धार्मकि संस्थाओं को हदिुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लयि खोलने का उपबंध प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। ऐसे मामले में राज्य द्वारा संवैधानकि नयिमों के प्रवर्तन के लयि एक उचति कानून बनाया जाना चाहयि।
6. नश्चिति आयु वर्ग की महलिाओं के मंदरि में प्रवेश पर प्रतबिंध अनुच्छेद-17, जो कि अस्पृश्यता से संबंधति है, सहति कई मौलकि अधकिारों का उल्लंघन है।
7. लैंगकि असमानता के तर्क के अलावा, व्यक्तगित स्वतंत्रता का वचिार भी यहाँ दाँव पर है। धार्मकि संस्थानों के प्रबंधन के नाम पर कुछ लोगों द्वारा धार्मकि अधकिारों का एकाधकिार, व्यक्तगित स्वतंत्रता के वचिार को दूषति करता है।
8. सामाजकि दृष्टकिोण से कसिी भी क्षेत्र में इस तरह की प्रतकिूल प्रथाएँ अनवािर्य रूप से मानव क्षमता के प्राकृतकि वकिास को सीमति कर देंगी।

मंदरि में महलिाओं के प्रवेश के वरिोध में तर्क

1. धर्म और सामाजकि प्रथाएँ एक-दूसरे से अंतर्संबंधति हैं। इसलयि महलिाओं के प्रवेश पर रोक को लगि असमानता के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे धार्मकि अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहयि जसिका पालन लोगों द्वारा सदयिों से कयिा जा रहा है। इस तरह के धार्मकि अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ नहीं कयिा जाना चाहयि।
2. कुछ धार्मकि प्रथाओं और मथिकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरति कयिा जाता है ताकि एक वशिेष देवता या भगवान को उनके मूल अवतार में याद कयिा जा सके। इसलयि, इस तरह के वशि्वास या प्रथा की प्रामाणकिता को बनाए रखने के लयि प्रयास कयिा जाना चाहयि।
3. कुछ प्रथाएँ और वशि्वास ऐसे हैं जनि्हें बेहतर फैसले के लयि धार्मकि नकिायों के लयि छोड़ा जाना चाहयि और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहयि कि वे इन्हें कसि रूप में देखना चाहते हैं।
4. संवधिान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक संप्रदाय को अपने धार्मकि मामलों के प्रबंधन का मौलकि अधकिार है। नतीजतन, धार्मकि नकिाय अपने अधकिारों के तहत ऐसे नरि्देशों को पारति कर सकते हैं।
5. यह एक क्षेत्र वशिेष का धार्मकि मुद्दा है और इसे ज़्यादा तूल नहीं दयिा जाना चाहयि।
6. सबरीमाला मंदरि को एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाना चाहयि जहाँ केवल पुरुषों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जसि प्रकार से बालक और बालकिाओं के अलग-अलग वद्यालय हैं।
7. एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सबरीमाला मंदरि के अंदर कोई "ईश्वर" नहीं है, अपतिु मंदरि के अंदर एक "देवता" हैं। देवता एक सामाजकि-

सांस्कृतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है जबकि दूसरी तरफ "ईश्वर" सार्वभौमिक होता है। अतः देवता एक कानूनी इकाई है और इसलिये इसके अधिकार संविधान के विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित हैं।

- सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश के संबंध में धार्मिक अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली किसी भी महिला ने अदालत से संपर्क नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि यदि अदालत महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में नियम बनाती है, तो भी भारतीय महिला धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करना जारी रखेगी और स्वयं ही सबरीमाला में प्रवेश नहीं करेगी। यह तर्क गलत है। ऐतिहासिक रूप से कानूनी सुधार आमतौर पर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन से पहले होते हैं। सती या अस्पृश्यता जैसी कई पुरातन प्रथाओं के कानूनी तौर पर उन्मूलन में रातोंरात सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। कानून अक्सर एक संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बल प्रदान करता है।
- मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना न केवल अवैज्ञानिक है बल्कि विशेष रूप से अपमानजनक भी है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ा सामाजिक कलंक धार्मिक प्राधिकरण द्वारा आध्यात्मिक प्रतिबंधों के बहाने अंतःस्थापित और समेकित है। 21वीं शताब्दी ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्ति की अनुमति नहीं देती है।
- बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक समूहों द्वारा धार्मिक भेदभाव का अभ्यास किया जाता है। कई मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में विदेशियों और किसी अन्य धर्म से जुड़े लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरह के भेदभाव व्यापक स्तर पर हैं और बिना कानून के डर के खुलेतौर पर प्रचलन में हैं। सबरीमाला मंदिर मामले में एक अनुकूल निर्णय इसी तरह के अन्य मुद्दों के न्यायिक विवेचन के लिये एक उदाहरण स्थापित करेगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

आगे की राह

- सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में प्रवेश का मुद्दा पुराने मिथकों और मान्यताओं की सहभागिता और ऐसी प्रथाओं के उन्मूलन, जो कि विकासशील समय के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल नहीं कर पाती हैं, के बीच एक बहस है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे में अंतिम मध्यस्थ है, इसलिये उसे इस मुद्दे को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से संभालना होगा।
- लिंग और शरीर विज्ञान के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव घृणास्पद है और समतावादी समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sexual-equality-vs-religious-rituals